

कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी
संख्यांक / ५४०५-१३ प्रावित मान्यता / 2015-2016 दिनांक 30-६-2015

प्रबन्धक

रायल ब्लू पब्लिक स्कूल

सुल्तानपुर शहावपुर बंकी बाराबंकी

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय

के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पाश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश और जांच अधिकारी की संस्तुत के आधार पर मैं आप के विधालय को दिनांक 01-7-2015 से दिनांक 01-7-2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 08 अंग्रेजी माध्यम के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ !

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में के कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है!

2- विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा !

3- विधालय कक्षाओं में (या यथास्थिति 8 कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा !

4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेंगा !

5- सोसाइटी / विधालय किसी कैफिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा !

6- विधालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेंगा

विधालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा !

(1)- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा !

Hari Shukla
Manager
Royal Blue Public School
Barabanki

[Signature]
PRINCIPAL
ROYAL BLUE PUBLIC SCHOOL
BARABANKI

- (2)-किसी भी बालक को शरीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा !
- (3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा नहीं की जाएगी !
- (4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा !
- (5)-आवांगेयग के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा !
- (6)-अध्यापकों की गर्ती अधिनियम की धारा (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे !
- (7)-अध्यापक रखंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे !
- 7-विद्यालय रामुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा !
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेंगा !
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है—

विद्यालय परिवार का क्षेत्रफल

कुल निर्गत धोत्र

कीड़ा-स्थल क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-राह- कार्यालय- सह--भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

गिड-डे मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुँच


अध्यापन पठन। सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी!

10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजन के लिए किया जाता है !

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860का21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोस न्यास द्वारा चलाया जा रहा है !

12-स्कूल को किसी व्यष्टि वयष्टियों के समूह या संगम किन्हीं व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है !



Manager

Royal Blue Public School
Barabanki



PRINCIPAL
ROYAL BLUE PUBLIC SCHOOL
BARABANKI

13—विधालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए ! प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए


14—आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक्रम 11 है कृपया इसे नोट कर ले और इस कायांलय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक्रम का उल्लेख करे


15—विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समुचित सरकार

/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए !

16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए !

भवदीय


(पी०एन०सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी


बाराबंकी

पृ०स०/ ८५०५-१३ /दिनांक तदैव ३०/१०/२०१५
प्रतिलिपि: निनाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1—सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद

2—जिला विधालय निरीक्षक बाराबंकी

3—जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी

4—जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाराबंकी


5—जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी बाराबंकी


6—उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बाराबंकी

7—नगर शिक्षा अधिकारी बाराबंकी


8—खण्ड शिक्षा अधिकारी बाराबंकी

9—कार्यालय पत्रावली


(पी०एन० सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी


बाराबंकी


Manager
Royal Blue Public School
Barabanki


PRINCIPAL
ROYAL BLUE PUBLIC SCHOOL
BARABANKI